

राजस्थान सरकार  
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
2, जल पथ, गांधी नगर जयपुर

क्रमांक: एफ.1(3)(532)स्था/मंत्रा/डीपीसी/आईसीडीएस/

जयपुर, दिनांक: 23-5-18

91063

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 11-05-2018 को सम्पन्न बैठक में की गयी सिफारिश के आधार पर गैर टीएसपी क्षेत्र एवं टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायकों को चयन वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर लेवल पे मैट्रिक्स एल-10 में पदोन्नत किया जाता है :-

गैर टीएसपी क्षेत्र

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	पदोन्नति प्रभावी दिनांक
1	श्री कंवर सिंह	सामान्य	पदोन्नति दिनांक 01.07.17 से प्रभावी
2	श्री विजय सिंह राठौड़	सामान्य	पदोन्नति दिनांक 16.10.17 से प्रभावी
3	श्री भगवान सिंह	सामान्य	पदोन्नति दिनांक 16.10.17 से प्रभावी
4	श्री रामनारायण नागदा	सामान्य	पदोन्नति दिनांक 16.10.17 से प्रभावी
5	श्री महेश चन्द जोशी	सामान्य	पदोन्नति दिनांक 16.10.17 से प्रभावी
6	श्री हरिचरण शर्मा	सामान्य	पदोन्नति दिनांक 16.10.17 से प्रभावी
7	श्री राम सिंह सांदू	सामान्य	पदोन्नति दिनांक 16.10.17 से प्रभावी
8	श्री चावण्ड दान	सामान्य	पदोन्नति दिनांक 16.10.17 से प्रभावी
9	श्री सवाराम	सामान्य	पदोन्नति दिनांक 16.10.17 से प्रभावी
10	श्री लालाराम मीणा	एसटी	पदोन्नति दिनांक 16.10.17 से प्रभावी
11	श्री दुर्गेश कुमार गुप्ता	सामान्य	पदोन्नति दिनांक 16.10.17 से प्रभावी
12	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	सामान्य	पदोन्नति दिनांक 16.10.17 से प्रभावी
13	श्री रमाशंकर शर्मा	सामान्य	पदोन्नति दिनांक 16.10.17 से प्रभावी
14	श्री रामावतार चौधरी	सामान्य	पदोन्नति दिनांक 16.10.17 से प्रभावी
15	श्री अश्वनी कुमार पारीक	सामान्य	पदोन्नति दिनांक 16.10.17 से प्रभावी

1-विचारण सीमा में वरिष्ठता क्रम संख्या 1 पर आने वाले में सर्व श्री गिर्राज गोयल (सामान्य) का चयन वर्ष 2015-16 के प्रति पदोन्नत किया गया था, किन्तु इनके द्वारा पदोन्नति परित्याग(फारगों) कर दिये जाने के कारण इनका नियमानुसार दो वर्ष पदोन्नत का

लाभ नहीं दिया जाता है । अतः वर्ष 2016-17 हेतु प्रथम बार एवं वर्ष 2017-18 हेतु द्वितीय बार चयन नहीं किया गया है।

2-विचारण सीमा में वरिष्ठता में आने वाले कम संख्या 4 पर अंकित वरिष्ठ सहायक सर्व श्री हरजीराम मीणा, एस0टी0 के वर्ष 2002 से पूर्व की एक एवं वर्ष 2002 के पश्चात् दो संतान कुल जीवित 3 संतान होने के कारण वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-2018 तक कुल 3 वर्षों के लिये पदोन्नति के पात्र नहीं है। इन्हें प्रथम बार वर्ष 2015-16 के लिए एवं द्वितीय बार वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए तृतीय बार डीबार किया गया।

विचारण सीमा में वरिष्ठता में आने वाले निम्न वरिष्ठ सहायकों के विरुद्ध विभागीय जांच/न्यायिक प्रकरण विचाराधीन होने के कारण इनकी पदोन्नति की सिफारिश का लिफाफा बन्द करने का निर्णय लिया गया :-

1-विचारण सीमा में वरिष्ठता में आने वाले कम संख्या 2 पर अंकित वरिष्ठ सहायक सर्व श्री भागीरथ रैदास (एससी) के विरुद्ध गबन मामले मे प्रकरण सीजेएम कोर्ट प्रतापगढ के न्यायालय में पेश होकर विचाराधीन होने के कारण वर्ष 2017-18 में पदोन्नति की सिफारिश का लिफाफा बन्द करने का निर्णय लिया गया ।

2-विचारण सीमा में वरिष्ठता में आने वाले कम संख्या 16 पर अंकित वरिष्ठ सहायक सर्व श्री शरदचन्द्र (सामान्य) के विरुद्ध सीसीए नियम 16 एवं सीसीए नियम 17 मे विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण वर्ष 2017-18 में पदोन्नति की सिफारिश का लिफाफा विभागीय जांच में दोषमुक्त होने की स्थिति में बन्द करने का निर्णय लिया गया ।

3-विचारण सीमा में वरिष्ठता में आने वाले कम संख्या 21 पर अंकित वरिष्ठ सहायक सर्व श्री अनिल कुमार व्यास (सामान्य) के विरुद्ध सीसीए नियम 16 मे विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण वर्ष 2017-18 में पदोन्नति की सिफारिश का लिफाफा विभागीय जांच में दोषमुक्त होने की स्थिति में बन्द करने का निर्णय लिया गया ।

4-विचारण सीमा में वरिष्ठता में आने वाले कम संख्या 22 पर अंकित वरिष्ठ सहायक सर्व श्री अर्जुन राम मेघवाल (एससी) के विरुद्ध सीसीए नियम 16 मे विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण वर्ष 2017-18 में पदोन्नति की सिफारिश का लिफाफा विभागीय जांच में दोषमुक्त होने की स्थिति में बन्द करने का निर्णय लिया गया।

विचारण सीमा में वरिष्ठता में आने वाले निम्न वरिष्ठ सहायकों को विभागीय जांच में दण्डित किये जाने के कारण डीबार किया गया:-

1- विचारण सीमा में वरिष्ठता कम पर आने वाले कम संख्या 9 पर अंकित वरिष्ठ सहायक सर्व श्री बद्रीलाल मेहरा (एससी) वरिष्ठ सहायक को विभाग के आदेश दिनांक 25.11.14 के द्वारा 2 वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण इन्हें प्रथम बार वर्ष 2017-18 हेतु डीबार किया गया।

2- विचारण सीमा में वरिष्ठता कम पर आने वाले कम संख्या 10 पर अंकित वरिष्ठ सहायक सर्व श्री चन्द्रशेखर कल्ला (सामान्य) वरिष्ठ सहायक को विभाग के आदेश दिनांक 09.07.10 के द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण इन्हें प्रथम बार वर्ष 2017-18 हेतु डीबार किया गया।

1- श्रीमती कंचन सिंह दिनांक 31.05.2017 को सेवानिवृत्त हो चुकी है जबकि पद की रिक्ती दिनांक 16.10.2017 को बनती हैं। इस कारण श्रीमती कंचन सिंह के चयन पर विचार नहीं किया गया।

2- श्री गोपीराम खंगार दिनांक 30.09.2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं जबकि पद की रिक्ती दिनांक 16.10.2017 को बनती हैं। इस कारण श्री खंगार के चयन पर विचार नहीं किया गया।

वर्ष 2017-18 हेतु निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण इन पर विचार आस्थगित (Deferred) रखते हुए प्रत्येक के लिए एक-एक पद आरक्षित रखा गया: -

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	वर्ग	विशेष विवरण
1	श्री उमाशंकर चौरसिया	सामान्य	
2	श्री मेहराजुद्दीन	सामान्य	
3	श्री बुद्धराज खींडिया	सामान्य	
4	श्री जगपाल सिंह	सामान्य	
5	श्री आवडदान	सामान्य	
6	श्री रामहरी मीणा	एसटी	
7	श्री रामप्रसाद मीणा	एसटी	
8	श्री चन्द्रलाल मेघवाल	एससी	
9	श्री रमेश चन्द मीणा	एसटी	
10	श्री रमेश चन्द परमार	एसटी	

### टीएसपी क्षेत्र

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	वर्ग	विशेष विवरण
1	श्री नरेश कुमार जोशी	सामान्य	पदोन्नति दिनांक 16.10.17 से प्रभावी
2	श्री यादव चन्द पण्डया	सामान्य	पदोन्नति दिनांक 16.10.17 से प्रभावी

1-विचारण सीमा में वरिष्ठता में आने वाले श्री दिनेश मीणा, एस0टी0 के वर्ष 2002 से पूर्व की एक एवं वर्ष 2002 के पश्चात् दो संतान कुल जीवित 3 संतान होने के कारण वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक कुल 3 वर्षों के लिये पदोन्नति के पात्र नहीं है। इन्हें प्रथम बार वर्ष 2017-18 के लिए डीबार किया गया।

2-विचारण सीमा में वरिष्ठता में आने वाले श्री थावर चन्द पारगी, एस0टी0 के वर्ष 2002 से पूर्व की सात एवं वर्ष 2002 के पश्चात् एक संतान कुल जीवित 8 संतान होने के कारण वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक कुल 3 वर्षों के लिये पदोन्नति के पात्र नहीं है। इन्हें प्रथम बार वर्ष 2017-18 के लिए डीबार किया गया।


3- श्री नरेन्द्र कुमार प्रजापत दिनांक 31.08.2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं जबकि पद की रिक्त दिनांक 16.10.2017 को बनती हैं । इस कारण श्री प्रजापत के चयन पर विचार नहीं किया गया ।

वर्ष 2017-18 हेतु निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण इन पर विचार आस्थगित (Deferred) रखते हुए प्रत्येक के लिए एक पद आरक्षित रखा गया:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	वर्ग	विशेष विवरण
1	श्री वामदेव जोशी	सामान्य	


चयन वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु विचारणीय सीमा में अनुसूचित जाति संवर्ग का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुसूचित जाति के 2 पद बैकलॉग रहेगा। जिन्हे आगे के वर्षों में भरे जाने की कार्यवाही की जावेगी।

पदोन्नत कार्मिकों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे।

  
उप निदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.1(3)(532)स्था/मंत्रा/डीपीसी/आईसीडीएस/ <sup>91064-113</sup> जयपुर, दिनांक: 23-5-18  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
4. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण
5. उप निदेशक (प्रशिक्षण/विखाका) मुख्यालय जयपुर।
6. सम्बन्धित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग .....
7. सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी ..... जिला .....
8. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. कार्यालय अधीक्षक, मुख्यालय।
10. सम्बन्धित कार्मिक श्री .....
11. व्यक्तिगत/आदेश पत्रावली

  
उप निदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान जयपुर